

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार
आपराधिक अपील क्रमांक 524 / 2019

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) क्रमांक 2001 / 2012

मध्यप्रदेश राज्यअपीलार्थी

बनाम

उदय सिंहप्रतिवादी

सहित

आपराधिक अपील क्रमांक 525 / 2019

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) क्रमांक 5413 / 2013

मध्यप्रदेश राज्यअपीलार्थी

बनाम

राकेश लवानियाप्रतिवादी

सहित

आपराधिक अपील क्रमांक 1362–1363 / 2012

अधीक्षण राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्यअपीलार्थी

बनाम

नरोत्तम सिंहप्रतिवादी

एवं साथ में

आपराधिक अपील क्रमांक 1364 / 2012

प्राधिकृत अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी म.प्र.....अपीलार्थी

बनाम

जशरथ सिंहप्रतिवादी

निर्णय

न्यायमूर्ति डॉ० धनंजय वाई चन्द्रचूड

1. विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई ।

आपराधिक अपील नं. 524 / 2019 उर्फ विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक क्रमांक) 2001

2. यह अपील मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के विद्वान एकल न्यायाधीश के 29 जुलाई 2011 के निर्णय से उत्पन्न हुई है जिसमें उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुरैना के एक पुनरीक्षण आदेश दिनांक 16.06.2011 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अन्तर्गत प्रस्तुत याचिका को स्वीकृत करते हुये पारित किया । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अन्तर्गत प्रस्तुत एक आवेदन जिसमें की एक ट्रेक्टर एवं ट्राली जो कि चंबल नदी से रेत के अवैध उत्खनन में शामिल होने के कारण अभिगृहण की गई थी उसे छोड़ने के लिये प्रार्थना की गई थी उक्त आवेदन को निरस्त करते हुये न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अम्बाह के आदेश की पुष्टि की थी।

3. 26 मार्च 2011 को वन अधिकारी ने एक ट्रेक्टर और ट्राली को रोका जो कि प्रतिवादी की थी एवं राष्ट्रीय अभ्यारण्य चंबल के एक प्रतिबंधित क्षेत्र दलजीत के पुरा से अवैध रूप से उत्खनन करके रेत को बिना अनुमति एवं पारगमन पास के अभाव में अभिकथित रूप से ले जा रहा था। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं 41,52, एवं 52-ए एवं वनजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं 27,29,39 (1) (द), 51 एवं 52 के अन्तर्गत ट्रेक्टर एवं ट्राली को रेत के साथ अभिगृहण किया गया । भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अन्तर्गत अभिगृहण की सूचना दिनांक 27 मार्च 2011 को मजिस्ट्रेट को दी गई । प्रतिवादी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अम्बाह के समक्ष अभिगृहण किये गये वाहन को अंतरिम रूप से छोड़ने के लिये एक आवेदन प्रस्तुत किया मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2011 के द्वारा आवेदन को निरस्त कर दिया। एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका भी 16 जून 2011 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुरैना द्वारा 16 जून 2011 को निरस्त कर दी गई है। तब प्रतिवादी ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष दण्डप्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की, उच्च न्यायालय ने वाहन को अन्तरिम रूप से छोड़े जाने हेतु आदेश पारित करने के लिये मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया । म.प्र.शासन ने संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुये यह कार्यवाही शुरू की है ।

4. म.प्र. शासन की यह शिकायत है कि उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के एक निर्णय **म. प्र. शासन बनाम मधुकर राव** पर विश्वास करते हुये, किसी प्रकार के आदेश पारित किये है जिनके द्वारा मजिस्ट्रेट को अभिगृहण वाहनों को छोड़े जाने हेतु निर्देशित किया गया है। शासन के अनुसार, इस न्यायालय ने **मधुकर राव** के प्रकरण में वन जीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों की व्याख्या की एवं इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट को अभिगृहण वाहन को अंतरिम रूप से छोड़ने का आदेश पारित करने की शक्ति एवं

क्षेत्राधिकार है। दूसरी ओर यह निवेदन किया गया है कि वर्तमान प्रकरण एवं इसी शैली के अन्य प्रकरण भारतीय वन अधिनियम 1927 जो कि मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में 1983 के अधिनियम 25 द्वारा संशोधित प्रावधान द्वारा शासित होते हैं, यह निवेदन किया गया है कि अधिहरण करने की कार्यवाही धारा 52(3) के तहत शुरू की गई है एवं इसकी प्रक्रिया धारा 52 एवं 52 अ द्वारा शासित है परिणामतः मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 से बाहर रहेगा (यह निवेदन किया गया है।) उपरोक्त निवेदनों पर व्याख्या करते हुये, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के जिन निर्णयों पर भरोसा किया है वे हैं – 1. **अनुविभागीय वन अधिकारी बनाम जी.वी.सुधाकर राव** 2. **कर्नाटक राज्य बनाम के.ए. कंचिन्दामण** 3. **पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुजीत कुमार राणा एवं म.प्र. राज्य बनाम कल्लो बाई**।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि –

(1) वन अधिनियम की धारा 52 में यह प्रावधान है कि जब किसी वन उपज के संबंध में एक वन अपराध कारित किया जाता है तो उपज एवं इसके साथ-साथ सभी उपकरण, नाव, वाहन , रस्सी , जंजीर, अथवा कोई दूसरी वस्तु जो कि अपराध करने के लिये प्रयोग की गई हैं, उन्हें किसी वन अधिकारी के द्वारा अभिगृहण किया जा सकता है । धारा 52(3) यह प्रावधान करती है कि उपधारा (5) के अधीन जहाँ किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिगृहीत सम्पत्ति अथवा अभिगृहण के बारे में रिपोर्ट की रसीद प्रस्तुत करने पर जैसा भी मामला हो, यदि वह सतुष्ट है कि इस संबंध में एक वन अपराध किया गया है तब वह कारणों को दर्ज करके, लिखित में आदेश दे सकता है कि ऐसी अभिगृहीत की गई वन उपज के साथ-साथ सभी उपकरण वाहन, नावें अथवा कोई दूसरी वस्तु जो कि अपराध को कारित करने में प्रयोग की गई है, उन्हें अधिहरित किया जावे।

(2) म.प्र. राज्य के 1983 के म.प्र. अधिनियम 25 ने वन अधिनियम की धारा 52 के मूल प्रावधानों को कुछ शर्तों के साथ प्रतिस्थापित किया है । धारा 52 की उपधारा (3) जो कि 1983 के म.प्र. अधिनियम 25 द्वारा अधिनियमित किया गया है यह प्रावधान कि अधिकृत अधिकारी को लिखित में कारणों सहित एक आदेश देने के लिये सशक्त करता है जो कि इस प्रकार अभिगृहण की गई वन उपज के साथ उपकरणों, वाहनों एवं अन्य कोई वस्तु जो कि अपराध को करने के लिये प्रयोग की गई है उसके अधिहरण करने हेतु सशक्त करता है इसी प्रकार म.प्र. राज्य के लिये 1983 के म.प्र. अधिनियम 25 के द्वारा जोड़ी गई धारा 52क जिसमें कि एक प्रावधान डाला गया है जिसके तहत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण किये जाने के आदेश दिनांक से 30 दिवस के अन्दर उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान है ।

(3) उच्च न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अन्तर्गत अपनी अर्न्तनिहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुये अभिगृहीत वाहन को छोड़ने के लिये निर्देश दिये जाने में गलती की है। उच्च न्यायालय यह मूल्यांकन करने में असफल रहा है कि वर्तमान मामले में वन अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (3) के संदर्भ में अधिहरण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है एवं तत्पश्चात् इसमें धारा 52 एवं 52 अ की प्रक्रिया लागू होगी। चूंकि धारा 52(3) के संदर्भ में वन विभाग द्वारा अधिहरण किये जाने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में, मजिस्ट्रेट अभिगृहीत वाहन को छोड़ने के लिये निर्देशित नहीं कर सकता क्योंकि इसे आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के रूप में बाहर रखा गया है।

5. उपरोक्त प्रावधानों को जोड़ते समय विधायी मंशा को ध्यान रखा जाना चाहिये । वन एक राष्ट्रीय संपदा है जिनको की संरक्षित करने की आवश्यकता है । अधिकांश प्रकरणों में, राज्य वन एवं वन उपज का स्वामी है एवं पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिये वनों को संरक्षित रखने के एक कर्तव्य से भी जुड़ा हुआ है। इस कारण ऐसे प्रावधानों की कानूनी व्याख्या उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत पर की जानी चाहिये ताकि विधायिका के उद्देश्य एवं आशय को पूरा किया जा सके एवं संविधान के अनुच्छेद 48क एवं 51क (छ) में दिये गये सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से यह निवेदन किया गया है कि वन अधिनियम के अध्याय 9 जो कि म.प्र.राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित किया गया है एक बार यह दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत एक आपराधिक विचारण में साक्ष्य का हिस्सा बन जाता है तो यह अभिगृहीत सम्पत्ति के संबंध में मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार को बाहर नहीं करता इस संदर्भ में यह प्रार्थना की गई थी कि –

1. धारा 52 के अन्तर्गत जहाँ कि आशय आपराधिक कार्यवाही को शुरू करना है तब प्रतिवेदन को अपराध के विचारण करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को ही भेजा जाता है न कि प्राधिकृत अधिकारी को । अभिव्यक्ति “सम्पत्ति अभिगृहण करने वाले अधिकारी” को अभिव्यक्ति “अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी” से विभेदित किये जाने की आवश्यकता है ।

2. केवल यदि अभिगृहीत सम्पत्ति प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तो उक्त प्राधिकृत अधिकारी स्वयं को संतुष्ट करने के लिये आगे बढ़ सकता है कि क्या धारा 52(3) के तहत अपराध किया गया है यदि धारा 52(2) के अन्तर्गत अभिगृहण का प्रतिवेदन मजिस्ट्रेट को भेज दिया गया है तब प्राधिकृत अधिकारी वन अपराध किये जाने पर निर्णय नहीं कर सकता क्योंकि अभिगृहण की रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष नहीं है।

3. चूँकि प्राधिकृत अधिकारीगण स्वयं नहीं बता सकते कि अभिगृहण वैध था। प्राधिकृत अधिकारी को अभिगृहण का एक आदेश पारित करने की बिल्कुल भी परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं हैं। यह मानना कि धारा 52(4) के अन्तर्गत सूचना नहीं दी जा सकती जबकि कोई अभिगृहण नहीं हुई है।
4. धारा 25ग के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार पर रोक केवल धारा 52(4) के अन्तर्गत सूचना देने के पश्चात् लागू होती है। चूँकि प्राधिकृत अधिकारी अभिगृहण का आदेश पारित नहीं कर सकता, आपराधिक दांडिक अपराध के विचारण के लिये क्षेत्राधिकार एवं इसमें शामिल सम्पत्ति से निपटने की शक्ति मजिस्ट्रेट पर निहित होती है।
5. इस कारण प्राधिकृत अधिकारी और दण्डाधिकारी दोनों के समक्ष समानांतर कार्यवाही के लिये कोई गुंजाइस नहीं है। यदि सम्पत्ति के अभिगृहण करने वाले अधिकारी का मानना है कि अपराध की गंभीरता के लिये दांडिक परीक्षण आवश्यक है एवं अभिगृहण का प्रतिवेदन प्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट को भेजता है।
7. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ विचार के लिये आती हैं।
8. वन अधिनियम की धारा 52 अध्याय 9 का एक भाग है जो कि शास्तियों एवं प्रक्रिया से संबंधित है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में, धारा 52 1983 के म.प्र.अधिनियम 25 से प्रतिस्थापित की गई थी जो कि निम्नलिखित शब्दों में है—

अधिहरणीय सम्पत्ति का अभिगृहण और उसके लिये प्रक्रिया

(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी आरक्षित वन और संरक्षित वन उपज के संबंध में कोई वन अपराध किया गया है, तब वन उपज और समस्त औजार, नाव, यान, रस्सी, जंजीर या किन्हीं अन्य वस्तुओं को जिनका प्रयोग ऐसे अपराध को करने में किया गया है, उन्हें किसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिगृहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी सम्पत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिन्ह लगायेगा कि उसका इस प्रकार अभिगृहण किया गया है, और अभिगृहीत सम्पत्ति को यथाशक्य शीघ्र या तो अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी ऐसे अधिकारी के, जिसे राज्य सरकार ने, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत किया हो (जो इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है), समक्ष पेश करेगा, यह जहाँ परिमाण प्रपुंज (बल्क) को या अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुये, यह साध्य न हो कि अभिगृहीत सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश किया जाये, वहाँ वह अभिगृहण की बाबत रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को करेगा, यह जहाँ अपराधी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियाँ तुरंत आरंभ करना आशयित हो, वहाँ वह ऐसे अधिगृहण की रिपोर्ट उस अपराध का, जिसके कारण अधिगृहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट को करेगा :

परन्तु जब वह वन उपज, जिसके बारे में ऐसे अपराध के लिये जाने का विश्वास है, सरकार की सम्पत्ति है और अपराधी अज्ञात है, तब यदि

अधिकारी परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ को यथाशक्य शीघ्र दे देता है तो वह पर्याप्त होगा।

(3) उपधारा (5) के अधीन रहते हुये, जहाँ प्राधिकृत अधिकारी का, यथा स्थिति अधिगृहीत सम्पत्ति अपने समक्ष पेश किये जाने पर या अभिगृहण के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह समाधान हो जाता है कि उसके बारे में कोई वन अपराध किया गया है तो वह लिखित आदेश द्वारा और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उस वन उपज को, जो इस प्रकार अधिगृहीत की गई है, समस्त औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों या किसी अन्य वस्तु सहित, जिसका प्रयोग ऐसे अपराध के करने में किया जाता है, अधिगृहण कर सकेंगा। अधिगृहण के आदेश की एक प्रति सम्यक् विलंब के बिना उस वन वृत्त के वन संरक्षक को भेजी जायेगी जिसमें यथा स्थिति इमारती लकड़ी या वन उपज अधिगृहीत की गई है।

(4) उप धारा (3) के अधीन किसी सम्पत्ति को अधिहरित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा। जब तक की प्राधिकृत प्राधिकारी, —

(क) सम्पत्ति के अधिहरण के लिए कार्यवाहियाँ शुरू किए जाने के बारे में सूचना, उस अपराध का जिसके कारण अभिगृहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को विहित प्रारूप में नहीं देता।

(ख) उस व्यक्ति को, जिसको सम्पत्ति अधिगृहीत की गई है, तथा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसके बारे में प्राधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत होता हो कि उसका ऐसी सम्पत्ति में कोई हित है, लिखित सूचना नहीं दे देता।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रस्तावित अधिहरण के विरुद्ध अभ्यावेदन ऐसे समय के भीतर जैसा कि सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, करने का अवसर नहीं दे देता और

(घ) अधिहरण करने वाले अधिकारी तथा उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों की, जिसे या जिन्हें खण्ड (ख) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई, उस प्रयोजन के लिये नियत की जाने वाली तारीख को नहीं कर लेता।

(5) उपधारा (3) के अधीन किन्हीं औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों, या किसी अन्य वस्तु के (जो अधिगृहीत की गई इमारती लकड़ी या वन-उपज से भिन्न हो) अधिहरण के लिए कोई आदेश नहीं किया जायेगा। यदि उपधारा (4) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि किन्हीं ऐसे औजारों, यानों, नावों, रस्सों, जंजीरों या अन्य वस्तुओं का प्रयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना या यथास्थिति उसके नौकर या अभिकर्ता की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और यह कि वन अपराध के किए जाने के लिए पूर्वोक्त वस्तुओं के प्रयोग को रोकने के लिये समस्त सम्यक् और आवश्यक पूर्वावधानियाँ बरती गई थी।

(6) अधिगृहीत सम्पत्ति, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की अपील प्राधिकारी द्वारा पुष्टि होने तक उसके द्वारा स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारंभ करने की कालावधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारा 52-क के अधीन यथाविहित अभिरक्षा में बनी रहेगी।

(7) जहाँ मामले की अधिकारिता रखने वाला प्राधिकृत अधिकारी, अभिगृहण में या अन्वेषण में स्वयं अन्तर्वलित है, वहाँ अगला उच्च प्राधिकारी इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के संचालन के लिए उसी श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को मामला अन्तरित कर सकेगा।

9. धारा 52 के उपधारा 1 के अन्तर्गत जहाँ यह विश्वास करने का एक कारण है कि किसी आरक्षित अथवा संरक्षित वन अथवा वन उपज के संबंध में एक वन अपराध कारित किया गया है,

तब उपज एवं सभी औजारों, नावों, वाहनों अथवा अपराध के किये जाने में प्रयुक्त वस्तुओं को किसी वन अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिगृहण किया जा सकता है । उपधारा (2) के अन्तर्गत , सम्पत्ति अभिगृहण करने वाला अधिकारी के लिये यह आवश्यक है कि वह अभिगृहण को चिन्हित कर एवं सम्पत्ति को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें अथवा जहाँ अभिगृहण की गई सम्पत्ति को प्रस्तुत करना व्यावहारिक नहीं है तो एक रिपोर्ट को प्राधिकृत अधिकारी को दे। जहाँ ऐसा आशयित है कि अपराधी के विरुद्ध तुरंत दाण्डिक कार्यवाही शुरू की जाये तब अभिगृहण कि एक रिपोर्ट जिस कारण अभिगृहण की गई है अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायेगी । उपधारा (3) यह निर्धारित करती है कि उपधारा (5) के अधीन , प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट होने पर कि एक वन अपराध किया गया है एवं अभिगृहण सम्पत्ति के प्रस्तुत करने अथवा अभिगृहण के बारे में रिपोर्ट की प्राप्ति पर, इस प्रकार अभिगृहण की गई वन उपज के साथ सभी औजारों, वाहनों , नावों अथवा अपराध को कारित करने में प्रयुक्त वस्तुओं को अधिहरण किये जाने का आदेश दे सकता है। अधिहरण करने का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उपधारा (4) में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता वे शर्तें हैं :

(1) वन अधिकारी को सम्पत्ति के अभिगृहण के लिये शुरू की गई कार्यवाही के बारे में विहित फार्म में एक सूचना अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट भेज देनी चाहिये ।

(2) ऐसा व्यक्ति जिससे की सम्पत्ति अभिगृहण की गई है अथवा अन्य कोई व्यक्ति जो कि सम्पत्ति में रुचि रखता हुआ प्रतीत होता है उसको सूचना पत्र का जारी किया जाना ।

(3) प्रस्तावित अभिगृहण के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना ।

(4) अभिगृहण करने वाले अधिकारी एवं ऐसे व्यक्ति जिसको कि सूचना पत्र दिया गया है, उन्हें सुने जाने का एक अवसर उपलब्ध कराना । उपधारा (5) यह उल्लेख करता है कि अभिगृहण के लिये कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता यदि एक व्यक्ति जिसको उपधारा (4) के उपवाक्य (ख) के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी किया गया है एवं वह सिद्ध करता है कि उपकरण, वाहन , नावें एवं वस्तु बिना उसके ज्ञान अथवा मौन सहमति के प्रयोग किये गये थे एवं एक वन अपराध को कारित करने के लिये उनके प्रयोग के विरुद्ध युक्तियुक्त और आवश्यक सावधानियाँ ली गई थीं ।

10. धारा 52 क वन संरक्षक के अभिगृहण के एक आदेश से व्यथित एक व्यक्ति के लिये इस आदेश के विरुद्ध एक अपीलिय उपचार का प्रावधान करता है । धारा 52 क प्रावधान करता है जो कि निम्ननुसार है ।

52-क, अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील, -

(1) अधिहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर या यदि ऐसे आदेश सम्बन्धी तथ्य की संसूचना उसे नहीं दी गई हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस वन वृत्त के, जिसमें वह वन-उपज अभिगृहीत की गई हो, वन संरक्षक (जो इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है) को लिखित में अपील कर सकेगा जिसके साथ ऐसी फीस तथा ऐसे रूप में, जैसा कि विहित किया जाए, दी जायगी और उसके साथ अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी।

स्पष्टीकरण.-(1) इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित कर दिया जायगा जो अधिहरण के आदेश की प्रति अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित रहा हो।

(2) अभिगृहण करने वाले अधिकारी को और ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को जिसका कि अपील अधिकारी की राय में, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से प्रभावित होना संभाव्य है, (जिसके अन्तर्गत कोई अपीलार्थी, यदि कोई हो, आता है) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, उस दशा में जबकि उसके समक्ष कोई अपील न की गई हो, प्राधिकृत अधिकारी के आदेश की प्रति उसे प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, "स्वप्रेरणा" से की जाने वाली कार्रवाई की सुनवाई की सूचना "स्वप्रेरणा" से दे सकेगा या, अपील के ज्ञापन के पेश किये जाने की दशा में, वह अपील की सुनवाई की सूचना उक्त व्यक्तियों को देगा, और मामले का अभिलेख मंगा सकेगा : परन्तु अपील की कोई औपचारिक सूचना, यथापूर्वोक्त अपीलार्थी, अभिगृहण करने वाले अधिकारी और प्रतिकूलतः प्रमाणित होने वाले किन्हीं व्यक्तियों में से उसको दी जाना आवश्यक नहीं होगा जो सूचना का अधित्यजन कर दे या जिसे अपील की सुनवाई की तारीख अपील प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य रीति में सूचित कर दी जाय।

(3) अपील प्राधिकारी, अपील के किये जाने के या "स्वप्रेरणा" से की जाने वाली कार्रवाई की जाने के बारे में प्राधिकृत प्राधिकारी को सूचना लिखित में देगा।

(4) अपील प्राधिकारी, अधिहरण की विषय-वस्तु की अभिरक्षा उसके परिरक्षण या व्ययन (यदि आवश्यक हो) के लिये "अन्तरिम" प्रकार के ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे कि उसे उस मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत और उचित प्रतीत हों।

(5) अपील प्राधिकारी, मामले की प्रकृति या अन्तर्ग्रस्त जटिलताओं को ध्यान में रखते हुये, अपील के पक्षकारों को उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने-अपने विधि व्यवसायियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(6) अपील की या "स्वप्रेरणा" से की जाने वाली कार्रवाई की सुनवाई के लिये नियत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को जिसके लिये कि सुनवाई स्थगित की जाए, अपील प्राधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और यदि अपील के पक्षकार स्वयं उपस्थित हो तो उसकी सुनवाई करेगा। या सम्यक रूप से प्राधिकृत किये गये किसी अभिकर्ता की मार्फत या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत सुनवाई करेगा। और उसके पश्चात् (प्राधिकृत प्राधिकारी के आदेश) की पुष्टि करने, उसे उलटने या उसे उपान्तरित करने का आदेश पारित करने के लिये अग्रसर होगा :

परन्तु कोई अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, अपील अधिकारी, यदि अपील के उचित निर्णय के लिये या "स्वप्रेरणा" से की गई कार्यवाही के उचित निपटारे के लिये यह आवश्यक समक्षता है, अतिरिक्त जाँच या तो स्वयं करेगा या प्राधिकृत अधिकारी से करवाएगा, और किसी ऐसे तथ्य का, जो

विचारार्थ उद्भूत हो, प्रख्यान या खण्डन करने के लिये, पक्षकारों को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा। और तथ्यों का सबूत शपथ पत्र द्वारा दिये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(7) अपील प्राधिकारी पारिणामिक स्वरूप के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

(8) अंतिम आदेश की या पारिणामिक स्वरूप के आदेश की प्रति, अनुपालन के लिये या अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिये, प्राधिकृत अधिकारी को भेजी जायेगी।

गौरतलब है कि धारा 52 क की उपधारा (4) के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी अधिहरण की विषय वस्तु की अभिरक्षा, संरक्षण अथवा निस्तारण के लिये अंतरिम प्रगति के आदेशों को पारित करने के सशक्त है। धारा 52 ख अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है। धारा 52 ख निम्नानुसार है :

52-ख, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण, - (1) अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये अन्तिम आदेश से या पारिणामिक स्वरूप के आदेश से व्यथित हो, उस आदेश के, जिसके विरुद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, उस सेशन न्यायाधीश को पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जायगा जो अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित रहा हो।

(2) सेशन न्यायालय, अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी अन्तिम आदेश या किसी पारिणामिक आदेश की पुष्टि कर सकेगा, या उसे उलट सकेगा या उसे उपान्तरित कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण में पारित किये गये आदेश की प्रतियां अपील प्राधिकारी को तथा प्राधिकृत अधिकारी को, अनुपालन हेतु या ऐसे अतिरिक्त आदेश पारित करने हेतु या ऐसी अतिरिक्त कार्रवाई करने के हेतु भेजी जायेंगी जैसा कि ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए।

(4) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के लिये, सेशन न्यायालय उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसका कि प्रयोग और अनुसरण वह दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं० 2) के अधीन के किसी पुनरीक्षण को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उसका विनिश्चय करने के समय करता है।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन पारित किया गया सेशन न्यायालय का आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायगा।

धारा 52 ग न्यायालयों, अधिकरणों एवं प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार पर रोक से संबंधित प्रावधान करता है :

52—ग, कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन, — (1) उस अपराध का, जिसके कारण उस सम्पत्ति का अभिगृहण किया गया है जो कि अधिहरण की विषय-वस्तु है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सम्पत्ति के अभिगृहण के लिये कार्यवाहियाँ शुरू की जाने के बारे में धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन सूचना के प्राप्त हो जाने पर, किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी (जो धारा 52, 52—क तथा 52—ख में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, अपील प्राधिकारी तथा सेशन न्यायालय से भिन्न हो) को, इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुये भी, उस सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके कि बारे में धारा 52 के अधीन अधिहरण की कार्यवाहियाँ शुरू हो गई हैं।

स्पष्टीकरण.—जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, किसी वन अपराध का विचारण करने की अधिकारिता दो या अधिक न्यायालय की हो, वहाँ ऐसी अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में से किसी एक को धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन की सूचना प्राप्त हो जाने का यह अर्थ लगाया जायेगा कि उस उपबंद के अधीन सूचना समस्त न्यायालयों को प्राप्त हो गई है और अधिकारिता का प्रयोग करने का वर्णन ऐसे समस्त न्यायालयों पर प्रावर्तित होगा।

(2) उपधारा 1 में कि कोई भी बात धारा 61 के अधीन व्यावृत्त शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

धारा 53 उस सम्पत्ति को मुक्त करने की शक्ति से संबंधित है जो धारा 52 के तहत अभिगृहीत की गई है

53. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति — रेजर से अनिम्न रैंक वाला कोई वन अधिकारी जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 52 के अधीन कोई औजार, नाव, यान या कोई अन्य वस्तु अभिगृहीत की है, इस प्रकार अभिगृहीत सम्पत्ति को धारा 52 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो उस अपराध का जिसके द्वारा अधिगृहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारता रखता हो, जब ऐसा अपेक्षित हो, पेश करने हेतु एवं अधिकारी द्वारा यथा प्राक्कलित ऐसी सम्पत्ति के मूल्य के बराबर की ऐसी रकम की, ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाए, प्रतिभूत का उसके स्वामी द्वारा निष्पादन करने पर उसे निर्मुक्त कर सकेगा।

इस प्रावधान को 2010 के एम.पी. अधिनियम 7 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रतिस्थापन से पहले, धारा 53 में अभिगृहीत की गई सम्पत्ति को विमुक्त करने के लिये, अपराध के विचारण की अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जब आवश्यक हो तब सम्पत्ति को प्रस्तुत करने के आशय के एक बंध पत्र का निष्पादन करने का प्रावधान था। धारा 60 के अन्तर्गत जो सम्पत्ति किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 52 के अन्तर्गत अभिगृहीत की जाना निहित है, सरकार धारा 52 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के परिणाम के अधीन, धारा 52 क के अन्तर्गत स्वप्रेरणा पर अथवा धारा 52 ख के अन्तर्गत सत्र न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण के परिणाम पर निर्भर करता है।

11. अभिगृहण और अधिहरण करने से संबंधित प्रावधान नीचे दिये अनुक्रम चार्ट एक में दर्शाये गये हैं।

अनुक्रम चार्ट : अधिगृहण एवं अधिहरण

धारा 52 उपधारा

धारा 52 के उपधारा 1 के अन्तर्गत जहाँ यह विश्वास करने का एक कारण है कि वन उपज के संबंध में एक वन अपराध कारित किया गया है, तब उपज एवं सभी औजारों, रस्सों, वाहनों इत्यादि ऐसे अपराध किये जाने के लिये प्रयुक्त वस्तुओं को किसी वन अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी के द्वारा जप्त किया जा सकता है।

उपधारा 2

सम्पत्ति को चिन्हित करना एवं अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।
अथवा अधिगृहीत की गई सम्पत्ति थोक में है तो इसकी रिपोर्ट प्राधिकृत अधिकारी को करना

जहाँ ऐसा आशयित है कि अपराधी के विरुद्ध तुरंत दाण्डिक कार्यवाही शुरू की जाये तब इसकी रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायेगी।

उपधारा 3

उपधारा 5 के अधीन, अधिगृहीत सम्पत्ति के प्रस्तुत करने अथवा अधिगृहण की रिपोर्ट पर, प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट होने पर कि एक वन अपराध कारित किया गया है एवं कारण अभिलेखित करने पर, इस प्रकार अधिगृहीत की गई वन उपज को वाहन के साथ अभिगृहीत कर सकता है।

उपधारा 4

अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी इस संबंध में एक सूचना अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को नहीं भेजता है एवं सूचना पत्र जारी करता है व प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर देता है एवं जिस व्यक्ति से सम्पत्ति अभिगृहीत की गई है उसे सुनवाई का मौका देता है अथवा जो ऐसी सम्पत्ति में एक रुचि रखता है।

उपधारा 5

उपधारा 3 के अन्तर्गत कोई भी आदेश नहीं किया जायेगा यदि उपधारा 4 के उपवाक्य ख के अन्तर्गत संबंधित व्यक्ति सिद्ध करता है कि ऐसे औजार, वाहन इत्यादि बिना उसके ज्ञान अथवा मौन सहमति के प्रयोग की गई थी एवं उनके प्रयोग के विरुद्ध सभी युक्ति युक्त एवं आवश्यक सावधानियाँ ली गई थी।

52-क, अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील, – अधिहरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति तीस दिवस के भीतर एक अपील प्रस्तुत कर सकता है।

52-ख, अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण, – (1) अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से व्यथित पक्षकार सत्र न्यायालय में तीस दिवस के अन्दर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर सकता है। सत्र न्यायालय का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये अन्तिम आदेश से या परिणामिक स्वरूप के आदेश से व्यथित हो, उस आदेश के, जिसके विरुद्ध आक्षेप किया जाना (2) सत्र न्यायालय आदेश की पुष्टि, उलट या उपान्तरित कर सकता है।

52-ग, कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय आदि की अधिकारिता का वर्जन, – कोई भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी को सिवाय धारा 52, 52-क तथा 52-ख में निर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी, अपील प्राधिकारी तथा सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण के विषय में कोई आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(2) उपधारा 1 में कि कोई भी बात धारा 61 के अधीन व्यावृत्त शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

53. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति – रेंजर से अनिम्न रैंक वाला एक वन अधिकारी जिसने या जिसके अधीनस्थ ने धारा 52 के अधीन सम्पत्ति अभिगृहीत की है, वह ऐसी सम्पत्ति के मूल्य के बराबर की प्रतिभूति, ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाए, उसके स्वामी द्वारा निष्पादन करने पर उसे निर्मुक्त कर सकेगा।



60. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत सम्पत्ति सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार पर निहित होगी
 – 1. एक अपील प्रस्तुत करने के लिये दी गई अवधि अथवा धारा 52 क के अन्तर्गत स्वप्रेरणा से की जाने वाली कार्यवाही में जो भी बाद में हो उस अवधि की समाप्ति पर ।
 (2) धारा 52 ख के अन्तर्गत पुनरीक्षण के लिये याचिका प्रस्तुत करने हेतु दिये गये समय की समाप्ति पर ।

12. वन अधिनियम में अभिगृहीत करने की कार्यवाही हेतु उल्लेखित प्रावधान से भिन्न जो दाण्डिक अभियोजन से संबंधित है जैसा कि म.प्र. राज्य द्वारा संशोधित किया गया है। धारा 52 (2) प्रावधान करता है कि जहाँ पर एक अपराधी के विरुद्ध तुरंत दाण्डिक कार्यवाही शुरू करना आशयित है तब अधिगृहण की रिपोर्ट अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जानी होती है । जहाँ धारा 52 के अन्तर्गत अधिगृहण की गई सम्पत्ति एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 53 के अन्तर्गत मुक्त की जाती है, तो ऐसी सम्पत्ति को विहित प्रारूप में सम्पत्ति के मूल के बराबर की प्रतिभूति के निष्पादन पर मुक्त की जानी चाहिये ताकि अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जब कभी भी इसकी आवश्यकता हो तो सम्पत्ति को प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जा सके । धारा 54 प्रावधान करती है कि धारा 52(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की प्राप्ति पर, मजिस्ट्रेट को विधि के अनुसार अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं विचारण तथा सम्पत्ति के व्ययन के लिये सभी आवश्यक उपाय करने चाहिये । धारा 54 प्रावधान करती है कि

“54. तदुपरि प्रक्रिया : ऐसी किसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट तब सुविधापूर्ण शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो गिरफ्तारी और विचारण और सम्पत्ति का विधि के अनुसार व्ययन के लिये आवश्यक हो :
 परन्तु सम्पत्ति के व्ययन के लिये कोई आदेश पारित करने के पूर्व, मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान कर लेगा कि धारा 52 कि उपधारा (4) के अधीन कोई सूचना उसके न्यायालय को उस अपराध के, जिसके कारण सम्पत्ति का अभिगृहण किया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को प्राप्त नहीं हुई है ।”
 (महत्व दिया गया)

परन्तु यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सम्पत्ति के व्ययन के लिये कोई आदेश पारित करने से पूर्व, मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना चाहिये कि धारा 54(4) के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

13. धारा 55 प्रावधान करती है कि अपराधी कि एक वन अपराध के लिये दोषसिद्धी पर, वन उपज के साथ औजार, नावें, वाहन एवं अपराध करने के लिये प्रयोग की गई अन्य वस्तुएं धारा 52, 52 क, 52ख एवं 52ग के अधीन रहते हुये अधिहरणीय होंगी ।

55. वन उपज, औजार आदि कब अधिहरणीय होंगे – 1. ऐसी समस्त इमारती लकड़ी या वन उपज जो दोनों में से प्रत्येक दशा में सरकार की सम्पत्ति नहीं है और जिसके विषय में कोई वन अपराध किया गया है। और

समस्त औजार, नावें, वाहन, रस्सों, जंजीरों या अन्य कोई वस्तु, जिसका प्रत्येक दशा में किसी वन अपराध के करने में प्रयोग किया गया है, अपराधी को ऐसे वन अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराये जाने पर धारा 52, 52क, 52ख, और 52ग के उपबंधों के अधीन रहते हुये, अधिहरणीय होंगे ।

14. राज्य विधायिका की मंशा धारा 54 के परन्तुक के साथ-साथ धारा 55 की उपधारा 1 के उपबंधों पर बल देना है धारा 52(2) के अन्तर्गत जहाँ अपराधी के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की जाना आशियत है, धारा के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति का अधिगृहण करने वाले अधिकारी को अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अधिगृहण की जानकारी की रिपोर्ट देनी होती है जिस कारण अधिहरण किया गया है किसी अपराधी की एक वन अपराध के लिये दोष सिद्धी पर, धारा 55 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वन उपज एवं समस्त औजार , नावें, वन अपराध के कारित करने में प्रयोग की गई वस्तुएँ धारा 52, 52क, 52ख एवं 52ग के उपबंधों के अधीन अधिहरणीय होगी।

15. धारा 56 प्रावधान करती है कि विचारण की समाप्ति पर, कोई वन उपज जिसके संबंध में एक वन अपराध हुआ है जहाँ पर यह सरकार की सम्पत्ति है अथवा उसका अधिहरण हुआ है तो वह वन अधिकारी द्वारा अपने भार साधन में ले ली जायेगी और अन्य किसी दशा में, उसका ऐसी रीति से व्ययन किया जा सकेगा जैसे न्यायालय निर्दिष्ट करें।

16. धारा 57 ऐसी स्थिति से संबंधित है जहाँ अपराधी ज्ञात नहीं है अथवा पाया नहीं जा सकता । धारा 58 शीघ्र खराब होने वाली ऐसी सम्पत्ति जो कि धारा 52 के तहत अभिगृहीत की गई है के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।

17. धारा 59 प्रावधान करता है कि धारा 52 के अधीन अधिगृहण करने वाला अधिकारी अथवा कोई वरिष्ठ अथवा ऐसा व्यक्ति जो कि अभिगृहीत सम्पत्ति का दावा करने में रुचि रखता है वह धारा 55, 56 एवं 57 के अधीन किसी आदेश के पारित किये जाने के एक माह के अन्दर उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें साधारणतः ऐसे आदेशों की अपील की जाती है । धारा 60 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जहाँ परिसीमा अवधि के अंदर कोई भी अपील नहीं की गई है अथवा जहाँ एक अपील की गई है एवं अपील न्यायालय द्वारा आदेश की पुष्टि हो गई है तब सम्पत्ति सभी प्रभारों से मुक्त होकर सरकार पर निहित होगी।

18. नीचे दिया अनुक्रम चार्ट 2 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा संशोधित वन अधिनियम के अन्तर्गत दाण्डिक कार्यवाहियों के संबंध में योजना दर्शित करता है :

अनुक्रम चार्ट 2 दाण्डिक कार्यवाहियाँ

धारा 52(2) दाण्डिक कार्यवाहियों की शुरुवात

जहाँ अपराधी के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाहियों की शुरुवात करना आशयित है, वहाँ सम्पत्ति अधिगृहण करने वाले अधिकारी को ऐसे अधिगृहण की एक रिपोर्ट अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को करनी होती है।

धारा 54

धारा 52(2) के अन्तर्गत रिपोर्ट की प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट अपराधी की गिरफ्तारी एवं विचारण तथा सम्पत्ति के व्ययन के लिये विधि अनुसार कदम उठायेगा परंतु धारा 52(4) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण की कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है ।

धारा 55

वन उपज, वाहनों एवं औजार अथवा कोई दूसरी वस्तु जो कि वन अपराध कारित करने में प्रयोग की गई है, वह समस्त सामग्री धारा 52, 52क, 52ख, एवं 52ग के अधीन अभियुक्त की दोष सिद्धी पर अधिहरणीय होगी ।

धारा 56

विचारण की समाप्ति पर, उपज का व्ययन जिसके संबंध में अपराध कारित किया गया है—जब एक वन अपराध का विचारण समाप्त होता है तो कोई वन उपज जिसके संबंध में एक वन अपराध कारित किया गया है, सरकार की सम्पत्ति अथवा जो सम्पत्ति अधिहरित की गई है दोनों को एक वन अधिकारी के द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है एवं किसी अन्य मामले में सम्पत्ति का व्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है जैसा कि न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है ।

धारा 57

जब एक अपराध ज्ञात नहीं है अथवा पाया नहीं जा सकता— मजिस्ट्रेट सम्पत्ति को अधिहरित किये जाने अथवा वन अधिकारी अथवा जिसे वह उचित समझे उसके नियंत्रण में लिये जाने का आदेश दे सकता है । अभिगृहीत किये जाने कि दिनांक से 30 दिवस तक कोई भी आदेश पारित नहीं किया जायेगा अथवा ऐसे व्यक्ति को सुने बिना जो कि उसमें अपने अधिकार का दावा करता है ।

धारा 58

धारा 52 के अन्तर्गत शीघ्र नष्ट होने वाली अभिगृहीत की गई सम्पत्ति के बारे में प्रक्रिया—मजिस्ट्रेट धारा 52 के अधीन अभिगृहीत और शीघ्र और प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के विक्रय के लिये इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी निदेश दे सकेगा ।

धारा 59

धारा 55, 56 अथवा 57 के अन्तर्गत पारित आदेशों की अपील तीस दिवस के अन्दर उस न्यायालय में होगी जहाँ साधारणतः ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये आदेशों की अपील होती है । अपील में पारित किया गया आदेश अंतिम होगा ।

धारा 60 2

जब धारा 59 के अधीन कोई अपील नहीं की जाती है अथवा अपील न्यायालय सम्पत्ति के अधिहरण के आदेश की पुष्टि करता है तो ऐसी सम्पत्ति सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार पर निहित होगी ।

19. इस न्यायालय द्वारा दिये गये कई निर्णयों का प्रभाव वर्तमान मामले के विवाद में सम्मिलित है 1985 के **जी.व्ही सुधाकर** राव के एक निर्णय में (उपरोक्त), इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा यह था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित आपराधिक प्रकरण के निस्तारण तक, अधिनियम के अधीन अपराधों के लिये, क्या उच्च न्यायालय अवैध रूप से ली गई वन उपज के अधिहरण के रोकने के उपाय की कार्यवाही, को धारा 482 के अन्तर्गत रोक जा सकता था जो कि आन्ध्रप्रदेश वन अधिनियम 1967 के अन्तर्गत अभिगृहीत की गई थी । इस न्यायालय ने आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के **आन्ध्रप्रदेश राज्य बनाम पी. के.मोहम्मद** में एवं **मोहम्मद यासिन बनाम फॉरेस्ट रेंज आफिसर, फ्लाइंग स्कवाड,**

रायाचोटी में युगल खण्डपीठ द्वारा लिये गये दृष्टिकोण की शुद्धता की पुष्टि की कि आन्ध्रप्रदेश वन अधिनियम 1967 ने दो प्रक्रियाओं पर विचार किया, पहली प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 44 2क के अन्तर्गत सामान के अधिहरण के लिये जो कि अपराध की विषयवस्तु तैयार करती है एवं दूसरी धारा 20 अथवा 29 के अन्तर्गत किये गये अपराध के लिये एक अभियुक्त के विचारण किये जाने के लिये है । विधान मंडल के उद्देश्य की व्याख्या करने के लिये, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामलों में लिये गये दृष्टिकोण के अनुमोदन के साथ नोट किया कि एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण के लिये प्रावधान जनहित में एक बुराई का दमन किये जाने के लिये अधिनियमित किये गये थे जिसको विधायिका टालना चाहती थी :

“14. हम पाते हैं कि एक बाद के समय की युगलपीठ जिसमें कि कोन्डाई मुख्य न्यायाधीश एवं पुन्ननिया न्यायमूर्ति ने मोहम्मद यासिन बनाम फॉरेस्ट रेंज आफिसर, फ्लाइंग स्कवाड रायाचोटी (1980 1 एएलटी 8) ने जीवन रेड्डी जे द्वारा पी.के. मोहम्मद [(1978) 1 एपीएलजे 391] मामले में अभिव्यक्त किये गये दृष्टिकोण का अनुमोदन किया एवं अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम दो प्रक्रियाओं पर विचार करता है । एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वस्तुओं का अधिहरण करने के लिये जो कि अपराध की विषय वस्तु का गठन अधिनियम की धारा 44 उपधारा (2) के अन्तर्गत होता है एवं दूसरा अभियुक्त के परीक्षण के लिये जो कि अधिनियम की धारा 20 अथवा 29 में किये गये अपराध के लिये अभियुक्त है। **विद्वान न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम अवैध रूप से सागौन एवं अन्य मूल्यवान वन उपज को हटाकर सरकारी वनों के वेदर्दी से शोषण की रिष्टि को रोकने एवं अवैध रूप से गिरी हुई लकड़ी अथवा वन उपज का सामान्य लोक हित में धारा 44 उपधारा (2)क के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण करने के लिये एक विशेष तंत्र के लिये प्रावधान करता है।**”

(महत्व दिया गया)

परिणाम स्वरूप केवल यह तथ्य कि मजिस्ट्रेट के समक्ष, एक आपराधिक विचारण में साक्ष्य की कमी के कारण, वह बरी हो गया था, एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किया गये अधिहरण के आदेश को इस संतुष्टि के आधार पर कि एक वन अपराध कारित किया गया है, आवश्यक रूप से प्रभावहीन नहीं करेगा।

20. वर्ष 2002 में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने **के.ए.कंचिन्दामद** के प्रकरण में कर्नाटक वन अधिनियम 1963 के प्रावधानों को निराकृत किया, न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या उस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी एवं सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट

है जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत अभिगृहीत वन उपज को अन्तरिम रूप से मुक्त किये जाने का आदेश पारित करने की शक्ति निहित है । धारा 71 में व्यावृत्ति के प्रावधान दिये गये हैं जो कि एक राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से सशक्त किये गये एक अधिकारी को धारा 62 के अन्तर्गत अभिगृहीत की गई सम्पत्ति को मुक्त करने के लिये प्राधिकृत करता है । जो कि सरकार की सम्पत्ति है । धारा 71छ अधिकारिता पर रोक का प्रावधान करता है, प्राधिकृत अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी के अलावा कर्नाटक वन अधिनियम 1963 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुये इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस विधि एक विशेष प्रावधान है । इसके अलावा, सर्वोपरि खण्ड ने विधान को अविभावी प्रभाव दिया जिसके परिणाम स्वरूप द.प्र.सं. के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट पर निहित समान शक्ति ले ली गई । न्यायालय के लिये बोलते हुये, न्यायमूर्ति डी.पी. मोहापात्रा ने अभिनिर्धारित किया कि :

“23 कर्नाटक वन अधिनियम राज्य में वनों और वन उपज को संरक्षित करने के लिये एक विशेष प्रावधान बनाया गया है धाराओं में अभिव्यक्त अधिनियम की यह योजना कानूनी प्रावधानों के उचित क्रियान्वयन के लिये वन विभाग के प्राधिकृत अधिकारियों में शक्ति के निहित होने से है ताकि उन्हें वनों और वन उपजों को संरक्षित करने के लिये प्रभावी कदम उठाने के लिये समर्थ बना सकें । इस उद्देश्य के लिये निश्चित शर्तें जिनमें कि वनों से अवैध रूप से हटाई गई वन उपजों के अभिगृहण , अधिहरण एवं समपहरण की शक्ति को सम्मिलित करके अनन्य रूप से उनमें निहित की गई है । सर्वोपरि खण्ड को उचित प्रावधानों में अन्य संविधियों एवं कानूनों के ऊपर अधिनियम के प्रावधानों को अध्यारोही प्रभाव देकर स्थिति को स्पष्ट किया गया है । ऐसे प्रावधानों का आवश्यक उपसिद्धांत है कि जहाँ यह संतुष्ट होने पर कि अधिनियम के अन्तर्गत एक अपराध किया गया है, प्राधिकृत अधिकारी वन उपज का अधिहरण करने के लिये सशक्त है एवं वहाँ पर सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत अभिगृहीत सामग्री की अन्तरिम सुपुर्दगी/करने से संबंधित सामान्य शक्ति मजिस्ट्रेट पर निहित है । अधिनियम के अन्तर्गत वन उपज के किसी अभिगृहण के एक प्रकरण का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट को यह जॉच करना चाहिये कि अभिगृहीत वन उपज के अधिहरण की शक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी पर निहित है एवं वह पाता है कि ऐसी शक्ति प्राधिकृत अधिकारी पर निहित है तब उसके पास अभिगृहीत

सामग्री के अंतरिम सुपुर्दगी / मुक्त करने से संबंधित एक आदेश पारित करने की कोई शक्ति नहीं है। हमारे दृष्टिकोण में यह विशेष अधिनियम के प्रावधानों के उचित क्रियान्वयन में मदद करेगा एवं विधि के प्रयोजन एवं उद्देश्य को आगे ले जाने में मदद करेगा। यदि ऐसे प्रकरणों में अभिगृहीत वन उपज की अंतरिम सुपुर्दगी / मुक्त करने की शक्ति मजिस्ट्रेट पर निहित होती है। तब यह अधिनियम की योजना को विफल करेगा। ऐसे परिणाम को टाला जाना चाहिये।

“24. आगे आने वाले पैराग्राफों में किये गये विश्लेषण एवं विधिक प्रावधानों से स्थिति जो बाहर आती है वह यह है कि विद्वान मजिस्ट्रेट एवं सत्र न्यायाधीश अभिनिर्धारित करने में सही थे कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर, यह प्राधिकृत अधिकारी है जिस पर कि वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी के आदेश को पारित करने की शक्ति निहित है न कि मजिस्ट्रेट।

परिणामतः इस न्यायालय के दृष्टिकोण में, यह प्राधिकृत अधिकारी है जिस पर कि अभिगृहीत वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी के एक आदेश पारित करने की शक्ति निहित है न कि मजिस्ट्रेट।

21. इसके बाद 2004 में सुजीत कुमार राणा (पूर्व के) में इस न्यायालय के दूसरे दो न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय वन अधिनियम 1927 जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में संशोधन के अन्तर्गत वन उपज के अधिहरण की कार्यवाहियों को रद्द करने के लिये धारा 482 द.प्र.सं. के लागू करने के संबंध में निस्तारण किया। धारा 59 क से 59छ को राज्य संशोधनों द्वारा प्रधान अधिनियम में जोड़ा गया जो कि अन्य बातों के साथ अभिगृहण एवं अधिहरण की शक्ति प्रदान करते हैं एवं द.प्र.सं. में दिये गये किसी भी प्रावधान के होते हुये भी, अन्य न्यायालयों एवं अधिगृहणों के क्षेत्राधिकार पर रोक का प्रावधान करता है। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

“31. परन्तु अधिनियम की धारा 59 छ के अन्तर्गत जब एक बार एक अधिहरण की कार्यवाही शुरू हो जाती है। तो इस संबंध में दाण्डिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपवर्जित हो जाता है यद्यपि बिना किसी विवाद के, दाण्डिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस सम्पत्ति के निस्तारण से है जो कि द.प्र.सं. के प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध की विषय वस्तु है। परन्तु जब एक बार अधिहरण की कार्यवाही शुरू हो जाती है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

जब एक बार दाण्डिक न्यायालय को अधिनियम के अन्तर्गत अधिगृहीत सम्पत्ति के निस्तारण की शक्ति नहीं होती तो उच्च न्यायालय को द.प्र.सं. की धारा 482 के अन्तर्गत वन उपज के अधिहरण की कार्यवाहियों को रद्द करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता ऐसा अभिनिर्धारित किया गया है।

22. वर्ष 2017 में मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम 1969 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुये इस न्यायालय की दूसरी दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **कल्लो बाई** (पूर्व) के प्रकरण में एक समान दृष्टिकोण दिया गया है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के द्वारा, धारा 15क से 15घ को वन अधिनियम जो कि म.प्र.राज्य के संबंध में संशोधित किया गया में दिये गये प्रावधानों के साथ अधिहरण कार्यवाहियों को पंक्ति में लाने के लिये लाया गया था। इस न्यायालय के पूर्व के निर्णयों पर विश्वास करते हुये जिसमें की **जी.वी सुधाकर राव** (पूर्व) प्रकरण सम्मिलित है, न्यायमूर्ति एन.व्ही.रमन ने दो न्यायाधीशों की पीठ के लिये बोलते हुये, अभिनिर्धारित किया ।

23. आपराधिक अभियोजन अधिहरण कार्यवाही से भिन्न है ।

दोनों कार्यवाहियाँ भिन्न एवं समानांतर है। जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य भिन्न है । अधिहरण की कार्यवाही का उद्देश्य उपज के अधिहरण एवं अपराध को कारित करने में प्रयोग किये गये साधनों के संबंध में तीव्र एवं प्रभावी अधिनिर्णयन हेतु समर्थ बनाना है जबकि अभियोजन का प्रयोजन अपराधी को सजा देना है अधिनियम की योजना अधिहरण के लिये स्वतंत्र प्रक्रिया विहित करती है पृथक कार्यवाहियों को विहित करने का आशय एक निवारक तरीका उपलब्ध कराना है एवं वाहन का आगे दुरुपयोग रोकना है ।

23. यह न्यायालय पर छोड़ा जाता है कि दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2008 में दिये गये एक निर्णय **म.प्र. राज्य बनाम मधुकर राव** के तहत इसका निराकरण करें। उस प्रकरण में मुद्दा यह था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (1) (ग) के अन्तर्गत एक वाहन अथवा यान को अधिगृहीत करने पर, मजिस्ट्रेट को विचारण के लंबित रहने के दौरान धारा 451 द.प्र.सं. के अन्तर्गत इसको छोड़ने के लिये निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं थी। महत्वपूर्ण रूप से उस प्रकरण में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उपबंध में, वन अधिनियम के म.प्र. के संशोधनों के सदृश उपबंध नहीं है अथवा उस मामले के लिये जो कि राज्य की विधियों में दिये गये हैं। एवं जिन पर **सुधाकर राव, कुनचिन्दामण, सुजीत कुमार राणा एवं कल्लो बाई** प्रकरणों में गौर किया गया । धारा 50 ने निदेशक अथवा मुख्य वन्य जीव प्रबंधक, वन अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी को सशक्त किया है कि यदि उनके पास यह विश्वास करने के युक्ति युक्त आधार है कि किसी व्यक्ति ने अधिनियम के अन्तर्गत एक अपराध किया है तो वे एक वंदी अथवा जंगली जानवर, जानवर की वस्तु, मांस , विजय चिन्ह इत्यादि के साथ-साथ औजारों , वाहनों, यानों अथवा अपराध के करने के लिये प्रयोग किये गये शस्त्र अभिगृहीत कर सकते हैं। धारा 50 उपधारा (2) के अन्तर्गत, इसके अक्टूबर 1991 के

संशोधन के पूर्व, सहायक निदेशक अथवा वन्य जीव संरक्षक को परस्पर एक वाहन, यान अथवा शस्त्र को एक वंध पत्र के अधीन रखते हुये छोड़ने के लिये सशक्त किया गया था। इस उपबंध को 1991 में हटाया गया एवं एक वंदी जानवर अथवा जंगली जानवर जो की अभिगृहीत किया गया था उसकी सुपुर्दगी हेतु एक अधिकारिता रखने वाले सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष एक वंध पत्र के निष्पादन के अधीन उपबंध को प्रतिस्थापित किया गया था। संशोधन के बाद, मुक्त किये जाने की अधिक सीमित शक्ति के दृष्टिकोण में, यह निवेदन किया गया था कि धारा 50 एक अधिक व्यापक योजना उपलब्ध कराती है एवं मजिस्ट्रेट के लिये धारा 50 के अन्तर्गत अधिगृहीत एक वाहन को अंतरिम रूप से छोड़े जाने के लिये निर्देशित किये जाने का प्रावधान खुला नहीं था। न्यायालय द्वारा यह निवेदन अस्वीकार किया गया था जिसने यह अभिनिर्धारित किया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अध्याय 6 के अन्य प्रावधानों एवं धारा 50 ने द.प्र.स. के प्रावधानों को लागू करने को वर्जित नहीं किया । **कुनचिन्दामण** में निर्णय इस आधार पर विभेदित किया गया कि यह कर्नाटक वन अधिनियम 1963 के प्रावधानों से संबंधित है जबकि वन जीव संरक्षण अधिनियम में दिये गये प्रावधान भौतिक रूप से भिन्न थे परिणाम स्वरूप यह निर्धारित किया गया कि धारा 50 के प्रावधान ने धारा 451 द.प्र.सं. में दी गई मजिस्ट्रेट की वाहन को अंतरिम रूप से छोड़े जाने के आदेश को पारित करने की शक्ति को प्रभावित नहीं किया । **मधुकर राव** के निर्णय में वह विधान सम्मिलित था। जिसके प्रावधान वन अधिनियम में म.प्र. राज्य के संबंध में किया गया संशोधन में दिये गये विशेष प्रावधानों से भिन्न थे। वास्तव में न्यायालय ने अंतर पर ध्यान दिया जब उसने पूर्व निर्णय **कुनचिन्दामण** जिसमें कर्नाटक वन अधिनियम 1963 के संबंध में इसे निस्तारित किया ।

24. **कैलाश चंद बनाम म.प्र. राज्य** में म.प्र. उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने वन अधिनियम के 1983 के म.प्र.अधिनियम 1983 के राज्य संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर विचार किया। यह ध्यान देते हुये कि एक दाण्डिक अभियोजन एवं अधिहरण के लिये कार्यवाही दोनों भिन्न है, इनमें से प्रत्येक का अपना स्वयं का उद्देश्य एवं प्रयोजन है, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि :

“ दाण्डिक अभियोजन अधिहरण कि कार्यवाहियों का एक विकल्प नहीं है। दोनों कार्यवाहियों समानांतर कार्यवाहियों हैं, प्रत्येक का अपना अलग उद्देश्य एवं प्रयोजन है अधिहरण कार्यवाही का उद्देश्य अपराध कारित करने के लिये प्रयोग किये गये साधनों एवं उपज के अधिहरण के संबंध में तीव्र एवं

प्रभावी अधिनिर्णयन को समर्थ बनाना है। अभियोजन का उद्देश्य अपराधी को सजा देना है.....”

राज्य संशोधन के मौलिक उद्देश्य एवं प्रयोजन की व्याख्या करते हुये, युगल खण्डपीठ ने उल्लेख किया कि :

“अपराधी के सफल अभियोजन के तहत अधिहरण की ओर बढ़ने पर विचार करते हुये, केन्द्रीय अधिनियम की योजना के तहत अधिहरण के लिये एक अतिरिक्त प्रक्रिया का प्रावधान करने के लिये 1983 के अधिनियम के द्वारा काफी परिवर्तन किया गया है एक प्रक्रिया जो कि अभियोजन की प्रक्रिया के तुलना में कम बोझिल और अधिक समीचीन है एवं एक ही समय पर प्रभावित व्यक्तियों के लिये आवश्यक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करती है। केन्द्रीय अधिनियम की योजना सम्पत्ति के अधिहरण की ओर संयोग से बढ़ते हुये अभियोजन के लिये प्रावधान करती है 1983 के अधिनियम के द्वारा लाये गये संशोधनों की व्यवस्था अधिहरण के लिये एक स्वतंत्र प्रक्रिया को विहित करती है । इसका आशय यह सुनिश्चित करना है कि संव्यवहार में प्रयोग किये गये वाहन को ऐसे दुरुपयोग के लिये आगे उपलब्ध न रखा जा सके एवं दूसरे अपराधी और दूसरों के लिये एक निवारक का भी कार्य करता है । वाहनों का अधिहरण करके इन प्रयोजनों को अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है।

25. हम में से एक द्वारा दिये गये एक निर्णय (भाई न्यायाधीश हेमन्त गुप्ता के म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुये) **रामकुमार साहू बनाम म.प्र. राज्य** में म.प्र. गौण लघु खनिज नियम 1996 के नियम 53 के उपबंधों को व्याख्या करते हुये, इन सिद्धांतों का अनुशरण किया गया था।

26. भारतीय वन अधिनियम 1927 के म.प्र. अधिनियम 25 के 1983 के संशोधनों के लिये हमारा विश्लेषण किस निष्कर्ष पर बढ़ता है कि अपराधों को कारित करने में प्रयोग किये गये औजारों नावों , यानों एवं वस्तुएँ तथा वन उपज के अभिगृहण एवं अधिहरण के लिये विशिष्ट प्रावधान बनाये गये हैं। धारा 52 1 के अन्तर्गत एक अभिगृहण करने पर, अभिगृहण कराने वाले अधिकारी को या तो प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष सम्पत्ति प्रस्तुत करनी होती है अथवा धारा 52 की

उपधारा (2) के अधीन अभिगृहण की एक रिपोर्ट बनानी होती है। ऐसा संतुष्ट होने पर कि एक वन अपराध कारित किया गया है, प्राधिकृत अधिकारी अपराध को करने में वन उपज के साथ—साथ औजारों, वाहनों, नावों एवं प्रयोग की गई वस्तुओं को अधिहरित करने के कारणों को अभिलेखित करने के लिये सशक्त है। उपधारा (3) के अधीन कोई सम्पत्ति अधिहरित किये जाने के पूर्व, प्राधिकृत अधिकारी को अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सम्पत्ति के अधिहरण की कार्यवाही शुरू करने की सूचना देना आवश्यक है। यहाँ तुरंत ही दाण्डिक कार्यवाही शुरू करना आशयित है, अभिगृहण की एक रिपोर्ट अपराध के विचारण की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जाती है। धारा 52 3 के अंतर्गत अधिहरण का आदेश धारा 52 क के अंतर्गत एक अपील एवं धारा 52 ख के अंतर्गत एक पुनरीक्षण के अधीन होता है। द.प्र.सं. में दिये गये किसी भी अन्यथा प्रावधान के होते हुये भी, धारा 52ख की उपधारा (5) पुनरीक्षण में सत्र न्यायालय के आदेश को अंतिमता प्रदान करती है एवं प्रावधान करती है कि इसको किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जायेगा। धारा 52ग प्रावधान करती है कि धारा 52 की उपधारा (4) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा एक सूचना की प्राप्ति पर, कोई भी न्यायालय, अधिकरण अथवा प्राधिकारी जो कि एक प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न है, एक अपीलीय प्राधिकारी अथवा सत्र न्यायालय (धारा 52, 52क एवं 52ख के अन्तर्गत) को ऐसी सम्पत्ति के कब्जे, उसे प्रदाय करने, निस्तारण अथवा वितरण के संबंध में आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं होगी। जिसके अधिहरण की कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। धारा 52ग की उपधारा 1 सर्वोपरि उपबंध का प्रावधान रखता है जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्यथा दी गई किसी बात के होते हुये भी प्रचालन करता है। धारा 52 के अन्तर्गत अभिगृहीत एक सम्पत्ति को तुरंत मुक्त करने हेतु निर्देशित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से सशक्त एक अधिकारी के संबंध में एक मात्र व्यावृत्ति जो कि धारा 61 में दी गई है। अतः धारा 52 की उपधारा (4)क के अन्तर्गत अधिहरण की कार्यवाहियाँ मजिस्ट्रेट के द्वारा शुरू करने की एक जानकारी की प्राप्ति पर, धारा 52ग की उपधारा 1 के अंतर्गत अधिकारिता पर रोक स्पष्टतः लागू होती है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के म.प्र. राज्य के संबंध में किये गये संशोधन में दी गई योजना यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करती है कि वर्तमान प्रकरण में धारा 482 द.प्र.सं. के अंतर्गत एक याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे वाहन की अंतरिम रिहाई हेतु जो कि अभिगृहीत किया गया है मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किया जाना, विधि के विपरीत था। एक बार यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिहरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है तो धारा 451 द.प्र.सं. के अंतर्गत अधिकारिता मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नहीं थी।

27. भारतीय वन अधिनियम 1927 में म.प्र. के संशोधन हितकारी लोक उद्देश्य के साथ जोड़े गये हैं । लूट पाट के विरुद्ध वनों का संरक्षण अनुच्छेद 48क के निर्देशक सिद्धांतों द्वारा एक संवैधानिक रूप से आज़ापित उद्देश्य है जो कि अनुच्छेद 51क (छ) के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिये मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है एक अपराध को कारित करने के लिये प्रयोग किये गये औजारों एवं वन उपज के अधिहरण को आपराधिक परीक्षणों से अलग करके, विधायिका का आशय यह सुनिश्चित करना है कि अधिहरण एक प्रभावी निवारक है । विधायिका द्वारा प्रभावी निवारण के अभाव को एक कमी के रूप में माना गया था। राज्य के संशोधन द्वारा उन गतिविधियों पर कठोर निवारकों को अधिरोपित करके उस कमी से बाहर निकलने की कोशिश की गई है जो कि म.प्र. में वनों के मौलिक अस्तित्व के लिये खतरा है। पर्यावरण की रक्षा करने एवं संरक्षित करने के एक प्रभावी औजार के रूप में, इन उपबंधों की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिये क्योंकि यह केवल तब मुमकिन है जब विधि की व्याख्या विधायिका के इस प्रयोजन को गति देती है। कि गंभीर बुराईयाँ जो हमारे प्राकृतिक वातावरण के लिये खतरा है उनका दमन किया जा सकता है युगों से मानव जाति के लिये धनलोलुपता प्राकृतिक वातावरण की एक भयावह गिरावट के रूप में परिणित हुई है। जल वायु परिवर्तन के परिणाम हमारे अस्तित्व को प्रतिदिन नीचे ला रहे हैं । विधि की व्याख्या द्वारा वातावरण पर प्रतिदिन के हमलों के लिये सदा ही सतर्क रहना चाहिये।

28. उपरोक्त कारणों से, हम अपील को स्वीकृत करते हैं एवं उच्च न्यायालय के विविध आपराधिक प्रकरण 5171/2011 के आक्षेपित आदेश दिनांक 29.07.2011 को अपास्त करते हैं ।

आपराधिक अपील कंमाक 525/2019 @ एस.एल.पी.(आपराधिक) कंमाक 5413/2013 :

29. आपराधिक अपील @ विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) कंमाक 2001/2012 में आज दिये गये निर्णय में दर्शाये कारणों के लिये, उच्च न्यायालय के विविध आपराधिक प्रकरण 1818/2009 के में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.07.2011 अपास्त हो जायेगा। एवं तदनुसार अपील स्वीकृत की जाती है।

आपराधिक अपील कंमाक 1364/2012 :

30. आपराधिक अपील @ विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) कंमाक 2001/2012 में दिये गये निर्णय में दर्शाये कारणों के लिये, उच्च न्यायालय के विविध आपराधिक प्रकरण 2634/2009 के में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.07.2011 अपास्त हो जायेगा। एवं तदनुसार अपील स्वीकृत की जाती है।

आपराधिक अपील कंमाक 1362-63/2012 :

29. आपराधिक अपील @ विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) क्रमांक 2001/2012 में आज दिये गये निर्णय में दर्शाये कारणों के लिये, उच्च न्यायालय के विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1751/2009 एवं 5673/2011 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.07.2011 एवं 21.09.2011 अपास्त हो जायेंगे। एवं तदनुसार अपीलें स्वीकृत की जाती हैं।

.....न्यायमूर्ति
डॉ० धनंजय वाई चन्द्रचूर्ण

.....न्यायमूर्ति
हेमंत गुप्ता

नई दिल्ली :
26 मार्च 2019

:: खंडन ::

क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय से आशय केवल पक्षकारों को उनकी अपनी भाषा में समझने के लिये है एवं इसका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यावाहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन तथा क्रियान्वयन के उद्देश्य के लिये प्रभावी माना जावेगा।